कोविड तीसरी लहर के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीसी के माध्यम से किया सम्बोधित

कलेक्टर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें

रतलाम। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर संक्रमण नियंत्रण, उसकी रोकथाम एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने रविवार को वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा से जुड़े अधिकारियों के साथ-साथ क्राइसेस मैंनेजमेंट कमेटियों के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर आवश्यकता इस बात की है कि संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए सभी स्तर पर पूर्व की भांति सहयोग एवं सहभागिता के साथ प्रयास किया जाए और हम सभी मिलकर कोविड-19 लहर को रोक सकें। मुख्यमंत्री ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में विधायक जावरा डॉ. राजेंद्र पांडेय उपस्थित थे। विधायक रतलाम शहर श्री चेतन्य काश्यप वीसी से ऑनलाइन जुड़े थे। इसके अलावा एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, मेडिकल कालेज डीन डा. जितेंद्र गुप्ता, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, क्राइसेस मैनेजमेंट के सदस्य श्री गोविंद काकानी आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के वर्चुअल उद्बोधन को विकासस्तर पर एवं ग्राम स्तर पर भी सुना गया।

इस दौरान विधायक जावरा डॉ. राजेंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से आग्रह किया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए। श्री पाण्डेय ने कहा कि जावरा जिले का बड़ा केंद्र है जहां पिपलोदा, आलोट, ताल, बड़ावदा के अलावा नागदा, खाचरोद से भी मरीज आते हैं। इसलिए जावरा में भी सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराई जाए। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जावरा को सीटी स्कैन मशीन अवश्य दी जाएगी। मशीन विदेश से आती है इसलिए उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाएगी। डॉ. पांडेय ने यह भी आग्रह किया कि रतलाम को प्रदाय सीटी स्कैन मशीन को अधिक संख्या वाली फिल्म की तकनीक से जोड़ा जाए। डॉ. पांडेय ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जिला स्तरीय संकट [illegible] की बैठक पूर्व से [illegible] जिससे बच्चों के वैक्सी[illegible] कोरोना की तीसरी लहर [illegible] तैयारियों पर चर्चा करके रूपरेखा निर्धारित कर ली गई।

स्वतंत्र प्रभाव 4/1/22

नाराजगी • एक दिन पहले त्रिवेणी मेला समाप्त करने से कारोबारियों ने रतलाम- कनेरी रोड किया जाम, नायब तहसीलदार ने समझाया तब माने

संक्रमण के डर से 10वें दिन खत्म कर दिया त्रिवेणी मेला, कारोबारी विरोध में सड़क पर उतरे तो एक दिन की मिली छूट, उमड़ा शहर

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना संक्रमण के चलते नगर निगम ने त्रिवेणी मेला एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया। सोमवार सुबह जब मेला कारोबारियों को जानकारी लगी तो वे नाराज हो गए और चक्काजाम कर दिया। यह एक घंटे तक चला। इसके बाद नायब तहसीलदार और पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और समझाया, इसके बाद कारोबारी माने।

त्रिवेणी मेला 24 दिसंबर से शुरू हुआ था, यह 3 जनवरी तक चलना था। इस आधार पर ही मेला कारोबारियों ने नगर निगम से प्लॉट लिए। इसके एवज में किसी दुकानदार ने 4 हजार रुपए तो किसी ने 10 हजार रुपए जमा किए। चूंकि 2 साल बाद मेला लगा था, इससे अच्छे कारोबार की उम्मीद से आसपास के जिलों से ही नहीं बल्कि दिल्ली तक के कारोबारियों ने प्लॉट खरीदकर दुकानें लगाईं। रविवार रात को नगर निगम ने सोमवार सुबह से मेला समाप्ति की घोषणा कर दी। सुबह जब जानकारी कारोबारियों को लगी तो वे मेला ग्राउंड से गुजर रही रतलाम-कनेरी रोड पर इकट्ठा हो गए और चक्काजाम कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि मेला 24 दिसंबर से शुरू हुआ था। अभी दो दिन पहले ही ग्राहकी शुरू हुई कि नगर निगम ने मेला समाप्त करने की घोषणा कर दी। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही नहीं निकल पाया है। अच्छे कारोबार की उम्मीद से हमने ट्रांसपोर्ट से माल मंगा रखा था। अभी वो भी नहीं आया कि मेला समाप्त कर दिया। इससे भाड़े के रुपए भी नहीं निकले हैं। नगर निगम ने जब मेले के लिए प्लॉटों का आवंटन 3 जनवरी तक किया तो मेला पहले कैसे समाप्त कर दिया। इससे हमें हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। मेला जल्दी खत्म करने से हमारा माल ही बच गया। अब इस माल को क्या आग लगा दें। व्यापारियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए त्रिवेणी पुलिस चौकी से पुलिस के जवान पहुंचे तो कारोबारियों ने अपनी समस्या बताई। इस पर वे बोले कि आप रास्ते से हटिए और ननि के अफसरों को बुला रहे हैं, आप उन्हें अपनी परेशानी बताना। सूचना पर नायब तहसीलदार और माणकचौक थाना टीआई पहुंचे। इसके बाद समझाया और कहा कि कोरोना संक्रमण चल रहा है। मेले में भीड़ आ रही है। इसे देखते हुए यह फैसला लिया है। आपको थोड़ी देर का समय दिया जाता है, आप शाम तक हटा लेना। इसके बाद फिर मेला शुरू हो गया और लोगों की भीड़ उमड़ने लगी।

दो साल बाद ऐसी रंगत... 2020 के शुरू में लगा था त्रिवेणी में मेला, इसके बाद अब लगा

नगर निगम द्वारा मेला समाप्त करने पर चक्काजाम करते दुकानदार।

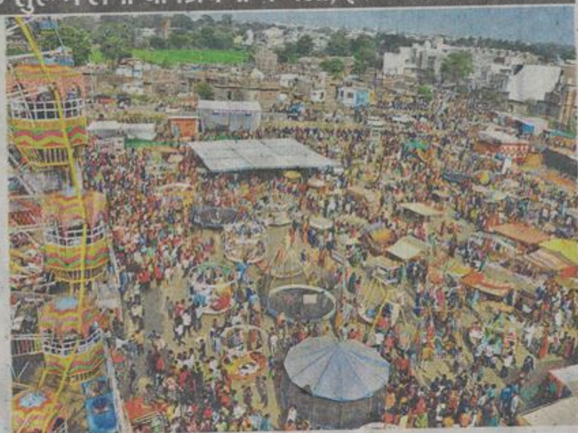

दुकानदारों के विरोध के बाद दोपहर में फिर शुरू हो गया मेला।

दिल्ली तक के कारोबारी आए, 400 से ज्यादा दुकानें लगीं

मेले में रतलाम लोकल के साथ ही मंदसौर, उज्जैन के साथ ही दिल्ली तक के कारोबारी आए। इस बार मेला कनेरी रोड तक लगाया है। 400 से ज्यादा दुकानें लगी हैं। यहां मौत का कुआं तो दो दिन पहले ही शुरू हुआ है। वहीं तीन बड़े झूले लगे हैं। इनका कारोबार भी अभी तीन दिन पहले ही शुरू हुआ है। मेला भले ही 11 दिन का रहता है। कारोबार अमावस्या से शुरू होता है जो अगले पांच से सात दिन तक रहता है। इस बार मेले के लिए कम समय मिलने से भले ही मेला 2 साल बाद लगा है लेकिन कारोबार नहीं हो पाया।

एक बल्ब का 400 रुपए किराया लिया, एक दिन पहले ही काट दी बिजली

बिजली कंपनी ने मेले में दुकानें लगाने वालों से 400 रुपए प्रति बल्ब किराया वसूला लेकिन एक दिन पहले ही मेले की बिजली काट दी। इससे पूरे मेले में अंधेरे हो गया। इससे दुकानदारों ने बैटरी से लाइट चलाई। उनका कहना है कि जब नगर निगम के ठेकेदार ने बिजली का किराया पूरे मेले का वसूला तो फिर लाइट पहले क्यों काट दी। इससे एक दिन का किराया लौटाया जाए। वहीं मेले में ज्यादा कारोबार भी नहीं हुआ। इससे प्लॉट का किराया भी लौटाया जाए।

दै. भास्कर 4/1/22

सभी विकासखंडों में कोविड-केयर सेंटर शुरू करने की प्लानिंग के निर्देश दिए

कलेक्टर ने की फीवर क्लीनिक की समीक्षा, सैंपलिंग कम नहीं हो, विदेश से आने वालों की सूची हो अपडेट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने फीवर क्लीनिक स्थापना की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सोमवार को दो फीवर क्लीनिक प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही निर्देश दिए कि सैंपलिंग में किसी भी स्थिति में कमी नहीं आए। स्कूलों में बच्चों के सैंपल लिए जाएं। अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों की अपडेट सूची अनुसार उनके शत-प्रतिशत टेस्ट किए जाएं।

कलेक्टर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति में इस बार जिले में वेल मैकेनाइज्ड व्यवस्था रहेगी। लोगों को पता होगा कि कहां बेड खाली है। सार्थक पोर्टल पर रियल टाइम डाटा अपलोड किया जाएगा। विकासखंडों के व्यक्तियों को पता होगा कि जिला मुख्यालय पर कहां जाया जा सकता है, सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से मैनेज किया जाएगा। सभी एसडीएम सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को कोरोना की बेसिक दवाइयों का ज्ञान हो, वे मरीजों को अनावश्यक दवाइयां पर प्रिसक्राइब नहीं करें नहीं तो उनके क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे।

मानकों पर खरे उतरेंगे तो मिलेगी अनुमति

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि सीटी स्कैन तथा प्रत्येक उपचार दल प्रत्येक अस्पताल में प्रदर्शित की जाएगी। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ननावरे को निर्देशित किया कि वे प्राइवेट अस्पतालों में जाकर कोरोना उपचार संबंधी तैयारियों को चेक करें, जो प्राइवेट अस्पताल शासन द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरेंगे उन्हें ही कोविड-19 उपचार की अनुमति दी जाएगी।

सरपंचों से राशि वसूल करे

बैठक में सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिए कि उन पंचायतों के सरपंचों से वसूली की जाए जिनके द्वारा राशि की अनियमितता की गई है। अभी वर्तमान में पांच ऐसे सरपंचों के मामले सामने हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई जिला पंचायत स्तर से कर ली जाए। उन सरपंचों से राशि वसूल की जाएगी। इसी प्रकार पलसोड़ा में अवैध खनिज परिवहन में पकड़े गए डंपर को राजसात करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। पत्रिका

रतलाम में एक और व्यक्ति की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

रतलाम. जिले में कोरोना ने अ... फिर से चाल पकड़ ली है। बीते कु... दिनों में लगातार पॉजिटिव मरी... सामने आ रहे हैं। बीते 20 दिनों ... दौरान ही रतलाम में कोरोना मरी... की संख्या 10 हो गई है। सोमवार ... भी एक 22 वर्षीय व्यक्ति की रिपो... पॉजिटिव आई है।

दरअसल जिस व्यक्ति की रिपो... पॉजिटिव पाई है, उसे जीआर... चौकी पुलिस न्यायालय में पेश क... के लिए ले जा रही थी लेकि... चेकअप के दौरान जांच गई तो ... कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उस... बाद युवक को भर्ती किया गया ... साथ ही उसके परिजनों का प... लगाकर उनका भी स्वास्थ्य परीक्ष... करने के लिए सेम्पल लिए जा रहे ...

पत्रिका 4/1/22

एक और पॉजिटिव

22 साल का कैदी निकला संक्रमित, अब 7 एक्टिव केस

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। सोमवार को एक 22 साल का युवक पॉजिटिव निकला है। समता परिसर निवासी यह युवक कैदी है। 3 जनवरी को जीआरपी ने सैंपल करवाया था। जिले में कुल एक्टिव केस 7 हो गए हैं। वहीं, सोमवार को एक पॉजिटिव को डिस्चार्ज कर दिया है।

जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट नहीं : इधर, जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट सोमवार को नहीं मिली। जिले के 7 सैंपलों की रिपोर्ट आना है। माइक्रोबॉयोलॉजी लैब के डॉ. प्रफुल्ल सोनगरा ने बताया रिपोर्ट का लगातार अपडेट ले रहे हैं।

▪ कलेक्टर ने दी सलाह, लोगों को पता होना चाहिए कहां कितने बेड खाली हैं

दै. भास्कर 4/1/22

जिले के सभी 147 केंद्रों पर बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू

रतलाम ● स्वदेश समाचार

ओमिक्रॉन तथा कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान आज से शुरू किया है। जिले में निर्धारित किए गए 147 केंद्रों पर आज बच्चों को वैक्सीन लगाए गए। प्राय: सभी केंद्रों पर वैक्सीनेशन लगाने वाले बच्चों की तथा उनके पालकों की भीड़ नजर आई।

प्रशासन ने 15 से 18 साल तक के बच्चों की स्कूल की आईडी को भी पहचान पत्र में जोड़ा है, ताकि अगर किसी बच्चे के पास आधारकार्ड या कुछ और पहचान पत्र न हो तो उसे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत सहित दुनिया में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में सरकार ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर को इस आशय की घोषणा में पूरे देश के सामने की थी, जिसका पंजीयन भी 1 जनवरी से कर दिया है।

स्वदेश 4/1/22

भविष्य को बचाने का टीका : शहर में पहले दिन 53% वैक्सीनेशन, सेंट जोसफ कॉन्वेंट व जैन स्कूल में सबसे कम 30% बच्चों ने ही लगवाए टीके

2004 में जन्मे बच्चों की गफलत, पहले स्कूल में टीका नहीं लगाने का आदेश... अब स्कूलों में ही लगेगी वैक्सीन

भास्कर संवाददाता | रतलाम

स्कूली बच्चे यानी देश के भविष्य को बचाने का टीका लगना शुरू हो गया है। पहले दिन बच्चों में अच्छा उत्साह दिखा है। शहर में तय लक्ष्य 40,130 के मुकाबले 53% बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया। सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल में सबसे कम 30% बच्चे ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे। वहीं, गुरु रामदास स्कूल और उत्कृष्ट स्कूल में सबसे ज्यादा 85% बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ। इधर, आदेशों के फेर में 2004 में जन्मे कई बच्चों को गफलत का सामना करना पड़ा।

पहले एसीएस का आदेश था कि 2004 में जन्मे बच्चों को स्कूल में टीके नहीं लगाए जाएंगे। उनका वैक्सीनेशन बाहरी सेंटरों पर होगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने 2005, 2006 और 2007 में जन्मे बच्चों को पात्र बताते हुए प्रसार किया। ऐसे में कई बच्चे गफलत में रहे। वहीं, दोपहर में 2004 के बच्चों को भी स्कूलों में ही टीके लगाने का फैसला हुआ। इधर, इस गफलत के चलते 2004 में जन्में कई बच्चे वैक्सीन नहीं लगवा सके।

उत्साह भी... मुस्कुराहट भी...

वैक्सीन लगाने के दौरान दर्द नहीं... इस तरह मुस्कुराहट दिखी। स्टूडेंट ने कहा: पता ही नहीं चला, कब टीका लग गया।

जिले में पहले दिन 23 हजार से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन

इधर, जिले में पहले दिन 23 हजार से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगी है। शहर में 6308 बच्चों को टीके लगाए गए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी आनंद कॉलोनी स्थित नवीन कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। यहां बालिकाओं के वैक्सीनेशन काम का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बालिकाओं और स्कूल स्टाफ से चर्चा की। 4 जनवरी को भी स्कूलों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। इनमें शासकीय और प्राइवेट स्कूल शामिल होंगे।

इन स्कूलों में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन

गुरु रामदास स्कूल	85%
उत्कृष्ट स्कूल	85%
साईंश्री एकेडमी	76%
साईंश्री इंटरनेशनल	70%
सेंट्रल स्कूल	69%

ये स्कूल पिछड़ गए

जैन स्कूल सागोद रोड	29%
सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल	30%
समता शिक्षा निकेतन	34%
महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल	36%
नाहर ग्लोबल स्कूल	38%

स्कूलों में बच्चों के होंगे सैंपल

स्कूलों में बच्चों के सैंपल लिए जाएंगे, ताकि कोरोना की स्थिति का पता चल सके। सोमवार को यह बात कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कही। दो फीवर क्लीनिक भी शुरू होंगे। कलेक्टर ने कहा सैंपलिंग किसी भी स्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों का शत प्रतिशत टेस्ट करने का कहा है। मास्क को लेकर औचक रूप से चालानी कार्रवाई करने का कहा। कार्रवाई का पहले से लोगों को पता नहीं होना चाहिए। मंडियों में सैम्पलिंग सतत जारी रहेगी। कलेक्टर ने कन्या आवासीय परिसर में बनाए गए कोविड-केयर सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा इस बार जिले में वेल मैकेनाइज्ड व्यवस्था रहेगी। लोगों को पता होगा कि कहां बेड खाली है। सार्थक पोर्टल पर रियल टाइम डाटा अपलोड किया जाएगा। विकासखंडों के लोगों को पता होगा कि जिला मुख्यालय पर कहां जाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को कोरोना की बेसिक दवाइयों का ज्ञान हो, वे मरीजों को अनावश्यक दवाइयां पर प्रिस्क्राइब नहीं करें, यदि ऐसा होता है तो उनके क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। जो प्राइवेट अस्पताल शासन के मापदंड पर खरे उतरेंगे उन्हें ही कोविड-19 उपचार की अनुमति दी जाएगी।

द.भास्कर 4/1/22

पहले दिन 23 हजार से अधिक बच्चों को मिला वैक्सीन का कवच

मैं भी सुरक्षित ● स्कूलों में बढ़-चढ़कर बच्चों ने लगवाए टीके, 2004 में जन्में बच्चे भी टीकाकरण के लिए पात्र

रतलाम(नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में 15 से 18 वर्ष आयु के स्कूली बच्चों का टीकाकरण सोमवार से शुरू किया गया। पहले दिन 23 हजार से ज्यादा बच्चों को टीके लगाए गए। सेंटरों पर वर्ष 2005 से 2007 तक के बच्चों को टीका लगाने के निर्देश दिए गए थे, इसके चलते 2004 में जन्में बच्चों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। कुछ सेंटरों पर ऐसे बच्चों को टीके नहीं लगाए गए, बाद में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने साफ किया कि 2004 में जन्में भी टीका लगवाने के पात्र हैं।

सोमवार सुबह शहर के आनंद कालोनी स्थित नवीन कन्या हाईसेकेंडरी स्कूल में कलेक्टर ने वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी गौरव तिवारी, जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर ने बालिकाओं से चर्चा भी की। सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि तीन जनवरी को रतलाम जिले में 154 स्कूलों में वैक्सीनेशन किया गया। उन्हीं स्कूलों में चार जनवरी को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। इनमें शासकीय तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के स्कूल शामिल हैं। जिले में स्कूलों में 15 से 18 वर्ष आयु के दर्ज 67 हजार बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा 20 हजार ड्रापआउट बच्चों को भी ढूंढकर वैक्सीनेट किया जाएगा।

वैक्सीनेशन की समीक्षा कर कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में नियुक्त नोडल अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है जिन बच्चों का जन्म जनवरी 2004 में हुआ है वह भी वैक्सीनेशन के पात्र हैं। बताया गया कि सोमवार को दो फीवर क्लीनिक प्रारंभ हो जाएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्कूलों में बच्चों के सैंपल लिए जाएं।

टीका लगवाते हुए छात्र गौरव सिंह सोलंकी। ● नईदुनिया

रतलाम में टीका लगवाने के लिए पंजीयन करवाते हुए विद्यार्थी। ● नईदुनिया

नई.

सामान्य रूप से काम किया और पढ़ाई भी की

शहर के गुजराती चाल रेलवे कालोनी निवासी 17 वर्षीय गौरव पुत्र नरेंद्र सिंह सोलंकी ने मार्निंग स्टार स्कूल मे टीका लगवाया। 11 वीं के छात्र गौरव ने बताया कि वैक्सीन से ही कोरोना से बचाव संभव है। टीका लगवाने के बाद सामान्य रूप से काम किया और पढ़ाई भी की।

मास्क नहीं पहनने वालों पर अचानक कार्रवाई करें

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि जिले में मास्क नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई सतत जारी रहेगी कार्रवाई का पूर्व से लोगों को पता नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने मंडियों में सैंपलिंग सतत जारी रखने के निर्देश दिए। सभी विकासखंडों में कोविड-केयर सेंटर प्रारंभ करने हेतु प्लानिंग के निर्देश दिए। रतलाम स्थित कन्या आवावासी परिसर में बनाए गए कोविड-केयर सेंटर में तैयारियों की समीक्षा भी कलेक्टर ने की।

नईदुनिया 5/1/22

कड़कड़ाती ठंड में खूब जमा कवि सम्मेलन

रतलाम » दबंग रिपोर्टर.

नगर निगम द्वारा आयोजित त्रिवेणी मेले में बीती रात निगम रंगमंच पर आयोजित कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवियो ने एक से बढ़कर एक कविता की प्रस्तुति देकर श्रोताओं की खुब दाद बटौरी। प्रारंभ में आमंत्रित कवियों का स्वागत पूर्व क्षेत्रिय पार्षद प्रतिनिधि राकेश मीणा ने पुष्पहारों से किया। महाराष्ट्र नागपुर से आये कवि सफर जौनपुरी ने अपनी कविता पाठ करते हुए कुछ यूं कहा -

पेड़ पौधों से इस तन को, हवा मिलती है।
यानि जीने के लिए हमको, हवा मिलती है।।
बदुआ लाख सफर चाहे जमाना दे दें।
पाँव छू लो तो बुजुर्गों की दुआ मिलती है।।

राजस्थान जोधपुर से आये कवि दिनेश सिंदल ने अपनी कविता में कहा -

फूल हूँ संग मैं खुशबू का सफर लाया हूँ
मैं हवाओं पे तेरा नाम लिखने आया हूं
लोग जालिम है मेरी राह में बोये कांटे
संग कांटों के मैं रहकर भी मुस्कुराया हूँ

शाजापुर से आये कवि अशोक नागर ने कविता पाठ करते हुए कहा कि -

बोल मीठे न हो तो, हिच्चकिंयाँ नही आती।
कीमती मोबाइल मे, घंटीयाँ नही आती।।
घर बड़ा हो या छोटा, गर मिठास न हो तो।
आदमी क्यों आयेंगे, चींटियाँ नहीं आती ।।

मेघनगर से आए कवि निसार पठान रमभापुरी ने कहा-

राम की बात कहता हूं रहमान की बात कहता हूं।
गीता ग्रंथ बाइबिल कुरान की बात कहता हूं।
मुस्लिम हूं मुकम्मल हैं ईमान मेरा।
हिन्दुस्तानी हूं हिंदुस्तान की बात कहता हूं।

कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव के दृष्टिगत त्रिवेणी मेला समाप्त

रतलाम। कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव के दृश्टिगत कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा आयोजित त्रिवेणी मेला 03 जनवरी सोमवार प्रातः से समाप्त किया गया है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव के चलते आम नागरिक व मेले में आने वाले दुकानदार, व्यापारियों की सुरक्षा के दृश्टिगत त्रिवेणी मेले को सोमवार प्रातः से समाप्त कर दिया गया । मेले में आये दुकानदार व व्यापारी तत्काल अपनी दुकानें हटा लें। मेले की व्यवस्थाओं में लगे अन्य विभाग अपनी व्यवस्थाऐं हटा लेवें साथ ही एमपीईबी अपने विघुत कनेक्शन तत्काल विच्छेद कर लेवें।

दबंग दुनिया 4/1/22

स्थल चयन के लिए पहुंचे अधिकारी

शहर के अमृत सागर तालाब से निकलने वाली जलकुंभी से जैविक खाद बनाएगा नगर निगम

रतलाम. शहर के अमृत सागर तालाब में झील संरक्षण योजना अंतर्गत शुरुआत में जलकुंभी निकालने का कार्य चल रहा है। इसमे इसके साथ - साथ गाद निकालने का कार्य भी आगामी दिनों में होना है। जो जलकुंभी निकलेगी, उसकी जैविक खाद नगर निगम बनाएगा। इसके स्थल निरीक्षण सहित अन्य कार्य के लिए निरीक्षण करने अधिकारी दोपहर बाद अमृत सागर तालाब क्षेत्र पहुंचे। अब तय भूमि का सीमांकन कार्य मंगलवार को होगा।

अमृत सागर तालाब में इन दिनों जलकुंभी निकालने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच निकली हुई जलकुंभी से जैविक खाद बनाने का निर्णय नगर निगम ने लिया है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह, लोकनिर्माण विभाग के उपयंत्री राजेश पाटीदार व शहर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभिषेक गेहलोत पहुंचे।

निगम सहित अन्य अधिकारियों ने अमृत सागर तालाब में फिड हार्वेस्टर लगाकर जलकुंभी निकाली जा रही है। इस मशीन के कामकाज की भी समीक्षा की गई। इसके द्वारा जा जलकुंभी निकाली जा रही है, अब उसके लिए स्थल चयन किया गया। इस दौरान तय भूमि का सीमाकंन भी मंगलवार को होगा। असल में तय भूमि पर जलकुंभी डालकर जैविक खाद बनाई जाएगी। इसके तय शासकीय भूमि को देखने ही अधिकारी गए थे। इस दौरान जैविक खाद पर काम करने वाले नामली के राजेंद्रसिंह को भी बुलाया गया।

आज होगी सीमांकन की कार्रवाई

अब अमृत सागर तालाब के सामने जो शासकीय भूमि है, उसके सीमाकंन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए काम मंगलवार को होगा। भूमि सीमांकन के बाद एक सप्ताह में जैविक खाद बनाने के कार्य की शुरुआत करने की तैयारी नगर निगम कर रहा है। पत्रिका

पत्रिका ५/१/२२

25 हजार से ज्यादा बच्चों ने लगवाई वैक्सीन

- 15 से 18 आयु वर्ग के बीच के बच्चों को स्कूलों में लगे टीके
- कलेक्टर, एसपी ने स्कूल पहुंचकर परखी व्यवस्था

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

रतलाम। जब तक सभी लोग वैक्सीनेट होकर, कोविड के नियमों का पूरा पालन नहीं करेंगे, तब तक किसी भी देश के लिए कोरोना पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। यह बातें नवीन कन्या विद्यालय की छात्राओं ने कही। सोमवार को 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड टीकाकरण लगाने की शुरुआत की गई। अभियान के तहत जिले के 147 केंद्रों में 25 हजार से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी, जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गेहलोत आदि आनंद कॉलोनी नवीन कन्या स्कूल पहुंचे। वहां प्राचार्य ममता सिंह की मौजूदगी में छात्राओं से बात की। छात्राओं ने कहा कि उन्होंने अफवाहों या डर में न पड़कर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया और वैक्सीन लगवाई। कलेक्टर ने उनसे चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि स्कूल त्यागने वाले बच्चों को भी ढूढ़कर उन्हें मोबाईल टीम या स्कूल तक लाकर वैक्सीन लगाई जाएं।

माला पहनाकर किया स्वागत

सोमवार को वैक्सीनेशन अभियान के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। रावटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों ने बच्चों को पुष्प मालाएं पहनाईं। शिक्षकों ने बताया कि विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों द्वारा स्वयं रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना बड़ा कदम है। ऐसे में शिक्षकों ने बच्चों को प्रत्साहित करते हुए स्वागत भी किया।

दबंग दुनिया ५/१/२२

200 से अधिक साधु-संतों की उपस्थिति में ग्यारह दिवसीय महारुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति

त्रिवेणी मेले में अंतिम दिन उमड़ा जनसैलाब

त्रिवेणी मेले में अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ी। बच्चों और बड़ों ने झूलों का भरपूर आनंद उठाया। •नईदुनिया

रतलाम। श्री सनातन धर्मसभा व महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा त्रिवेणी तट पर आयोजित ग्यारह दिवसीय 68वें महारुद्र यज्ञ की उत्सवी माहौल में पूर्णाहुति हुई। अंतिम दिन सोमवार को मेले में भारी भीड़ उमड़ी। यज्ञ आयोजन स्थल पर ही श्री बद्री नारायण सेवा ट्रस्ट द्वारा अन्नक्षेत्र भी चलाया जाता है। यज्ञ की पूर्णाहुति के पहले 200 से अधिक साधु-संतों का समागम हुआ, जिनका ट्रस्ट द्वारा स्वाद की सेवा से सत्कार किया गया।

श्री बद्रीनारायण सेवा मंडल ट्रस्ट के कन्हैयालाल मौर्य, रामचंद्र शर्मा ने सभी संतों का स्वागत किया। मौर्य व शर्मा ने बताया कि 68 साल के यज्ञ के इतिहास में ऐसा अदभुत संयोग पहली बार हुआ है कि यज्ञ की पूर्णाहुति के पहले 200 से अधिक साधु-संतों का समागम त्रिवेणी तट पर हुआ। सभी संतों को भोजन कराया गया। सभी संतो ने एक जाजम पर बैठकर पंडित रामचंद्र जी डोंगरे महाराज की प्रेरणा से स्थापित श्री बद्रीनारायण सेवा ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई भोजन प्रसादी ग्रहण की।

संतो के समागम को देखकर उपस्थित धर्मालुजन अभिभूत हो गए। त्रिवेणी तट पर संतों के समागम के साक्षी बनने का अवसर सैकड़ों धर्मालुओं को प्राप्त हुआ। संतों की सेवा में श्री सनातन धर्मसभा व महारुद्र यज्ञ समिति के कोमलसिंह राठौर, अभय लुणावत, राजेंद्र शर्मा, नवनीत सोनी, प्रेम उपाध्याय, मनोहर पोरवाल, चेतन शर्मा, संजय दवे, मनोज शर्मा, सतीश राठौड़, राजेश दवे, महेश व्यास, जगदीश पड़ियार, लालचंद टांक, कपूर सोनी, राजा राठौड़, पुष्पेंद्र जोशी, सूरजमल टांक आदि गणमान्यजन उपस्थित थे।

त्रिवेणी मेले में निगम रंगमंच पर प्रस्तुति देते हुए शशांक तिवारी। •नईदुनिया

मंत्रोच्चार के साथ दी आहुतियां

: श्री सनातम धर्मसभा व महारुद्र यज्ञ सेवा समिति के बैनर तले आचार्य पं. दुर्गाशंकर ओझा व अन्य भूदेवों के मंत्रोच्चार के साथ मुख्य यजमान पद्मादेवी विजय कडेल द्वारा यज्ञ में आहुतियां देकर की पूर्णाहुति की गई। तत्पश्चात मुख्य यजमान व समस्त भूदेवों द्वारा त्रिवेणी में स्नान कर पूजा-अर्चना की गई। समिति के कन्हैयालाल मौर्य, सदस्यों, मुख्य यजमान द्वारा पं. दुर्गाशंकर ओझा व समस्त भूदेवों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात यज्ञ नारायण की आरती उतारी गई। डा. राजेंद्र शर्मा, नवनीत सोनी, प्रेम उपाध्याय, मनोहर पोरवाल, संजय दवे, चेतन शर्मा, मनोज शर्मा, महेश व्यास, सतीश राठौर, नरेंद्र जोशी, राजा राठौर, पुष्पेंद्र जोशी, जगदीश पड़िहार, लालचंद्र टांक, सूरजमल टांक, राखी व्यास, तारादेवी, हंसा व्यास, प्रेमलता दवे, आशा शर्मा, रजनी व्यास, सावित्री सोनी, जया सोमानी, वंदना पोरवाल, निर्मला भराड़िया, माया सोनी, संध्या कोटियार, किरण सोनी, संगीता गोयल आदि गणमान्यजन उपस्थित रहे।

लोक गीतों पर झूमे श्रोता

नगर निगम द्वारा आयोजित ग्यारह दिवसीय त्रिवेणी मेले के दसवें रविवार रात रंगमंच से लोक गीत गायक शशांक तिवारी ने एक से बढ़कर एक लोक गीतों की प्रस्तुति देकर बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इसके बाद आदिवासी लोक गीत गायक शशांक तिवारी ने आदिवासी लोक गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अलावा ग्रुप के अन्य सदस्यों ने भी लोक गीतों की प्रस्तुति दी। कलाकारों का स्वागत पूर्व क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि राकेश मीणा ने किया।

नईदुनिया 5/1/22

निरीक्षण | **निगम आयुक्त ने एसडीएम के साथ किया स्थल का चयन**

45 दिनों में जलकुंभी से तैयार की जा सकती है जैविक खाद

रतलाम। अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन व समेकित प्रबंधन परियोजना के प्रथम चरण में अमृत सागर तालाब से जलकुंभी निकालने का कार्य नवीन एक्वेटिक विड हार्वेस्टर मशीन से किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में तालाब से जलकुंभी निकाली जा रही है। निकाली जाने वाली जलकुंभी से जैविक खाद समीप ही बनाने के लिए आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एसडीएम अभिषेक गेहलोत व निगम अधिकारियों के साथ स्थल का चयन किया।

अमृत सागर तालाब के पास स्थल चयन करते हुए आयुक्त व एसडीएम। ●नईदुनिया

अमृत सागर तालाब से जलकुंभी निकालती एक्वेटिक विड हार्वेस्टर मशीन। ●नईदुनिया

जलकुंभी से जैविक खाद बनाने का कार्य कम संसाधनों के साथ तीव्रता से हो इसके लिए आयुक्त व एसडीएम ने सड़क के दूसरी ओर शासकीय भूमि का चयन कर भूमि का सीमांकन व फेंसिंग करवाने के निर्देश संबंधित को दिए। राजेंद्रसिंह राठौर ने जलकुंभी से खाद बनाने की जानकारी देते हुए बताया कि जलकुंभी में नाइट्रोजन व फास्फोरस उचित मात्रा में होने से 45 दिनों में जैविक खाद तैयार की जा सकती है। निगम आयुक्त ने बताया कि तैयार की गई जैविक खाद को किसानों व नागरिकों को विक्रय किया जाएगा। जलकुंभी की सफाई के बाद अमृत सागर तालाब का स्वरूप निखरेगा। इसके बाद पूरे क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यपालन यंत्री सुरेशच व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभा सहायक यंत्री अरविंद दशोत्तर, उपयं अनवर कुरैशी आदि उपस्थित थे।

नई.

नईदुनिया 4/1/22

73 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है।

इसके तहत सोमवार को 73 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 21105, ट्रैक्टर-ट्राली से 13445, काम्पेक्टर सूखा कचरा 19750, काम्पेक्टर गीला कचरा 19135 कुल 73435 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

नईदुनिया 4/1/22

रात्रिकालिन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा 2 जनवरी को निरीक्षण किये जाने पर 6 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान दौलत-राजू, अजय-बसंत, नरेन्द्र-विजय, आकाश-मुकेश, रामजीलाल-किशन व भरत-रामलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

प्रसारण 4/1/22

छह कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान दौलत-राजू, अजय-बसंत, नरेंद्र-विजय, आकाश-मुकेश, रामजीलाल-किशन व भरत-रामलाल कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर सभी का एक दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर वाहन चालक राहुल-नाहर, सुनील बैरागी, शुभम चनाल, जितेंद्र तोमर, राजेश वर्मा, मनीष डागर व जितेंद्र जोशी का सात दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

नईदुनिया 4/1/

मत करो ऐसी गलती, जो पड़े भारी..　　निगम ने शुरू की जुर्माने की कार्रवाई

कोरोना संक्रामक- मॉस्क जरूर लगाएं

रतलाम, नप्र। कोरोना वायरस को संक्रामक रोग घोषित किया है। कोविड-19 की महामारी इसी वायरस से फैलती है। शहर में इस वायरस के संक्रमण का फैलाव ना हो, इसके लिए घर से निकलते ही मॉस्क लगाकर निकलें और बाजार में दो गज की दूरी का ख्याल रखें।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम महामारी की रोकथाम के लिए लगातार कारगर कदम उठा रहे है। वे लगातार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे है वहीं कोविड की चपेट में आए लोगों को बेहत्तर इलाज का इंतजाम भी करवा रहे है। मध्यप्रदेश शासन ने कोरोना वायरस को संक्रामक रोग घोषित किया है। शहर में इस बीमारी का फैलाव ना हो इसके लिए हर एक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी किया है। नगर में ऐसे नागरिक जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं या गलत तरीके से लगा कर नगर में घूम रहे है उन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी के निर्देशन में जुर्माने की कार्यवाही शुरू कर दी है। रविवार को विभिन्न क्षेत्रों से 411 लोगों को पकड़ा जो बिना मास्क लगाकर घूम रहे थे। इन लोगों पर जुर्माने की कारवाई कर उन्हें मास्क लगाने की समझाईश दी। दो बत्ती थाना क्षेत्र में 101 को पकड़ा तो माणकचौक थाना क्षेत्र में 82 लोग बिना मास्क के पाए गए। दीनदयालनगर थाना क्षेत्र में 102 और औद्योगिक क्षेत्र में 126 लोगों को भी मास्क ना पहनने की गलती करते पकड़ा है।

कोरोना के कारण त्रिवेणी मेला आज ही खत्म

रतलाम, नप्र। कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से होने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने त्रिवेणी मेले को आज खत्म कर दिया है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कलेक्टर एवं निगम प्रशासक के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव के चलते आम नागरिकों के अलावा मेले में आने वाले दुकानदार, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले को आज 3 जनवरी की सुबह से समाप्त कर दिया है।

निगम प्रशासन ने मेले में आए दुकानदारों से कहा कि वे अपनी-अपनी दुकानें मेले से तत्काल हटा लें। कलेक्टर ने त्रिवेणी मेला खत्म करने करने का फरमान जारी करने के साथ ही विद्युत वितरण कंपनी अधिकारियों को त्रिवेणी मेले से शीघ्र ही बिजली कनेक्शन काटने के अलावा अन्य विभागों को भी मेले से अपने इंतजाम हटाने को कहा है।

प्रभात किरण 3/1/22

मास्क नहीं लगाने पर 411 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ● संक्रमण का फैलाव ना हो इस हेतु सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। नगर में ऐसे नागरिक जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं या गलत तरीके से लगा रहे हैं उन पर नगर निगम के गठित दलों द्वारा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी के निर्देशन में जुर्माने की कारवाई की जा रही है जिसके तहत रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में 411 व्यक्तियों पर जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाईश दी गई। मास्क नहीं लगाने व गलत तरीके से लगाने के तहत की जा रही जुर्माने के अन्तर्गत दो बत्ती थाना क्षेत्र में 101, माणक चौक थाना क्षेत्र में 82, दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में 102 व औद्योगिक थाना क्षेत्र में 126 इस तरह 411 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

स्वदेश 4/1/22

आज भी यही होगा ? न्यू रोड पुलिया पर साइड रेलिंग नहीं, खाना लेने जा रहा दृष्टिहीन नाले में जा गिरा

रोज कोई ना कोई रास्ता बता देता था, सोमवार को कोई नहीं था

रतलाम | न्यू रोड पुलिया पर साइड बाउंड्री या रेलिंग नहीं होने का खामियाजा एक दृष्टिहीन व्यक्ति को भुगतना पड़ा। घटना गांधीनगर निवासी दिनेश मईडा (45) के साथ हुई। वे पैदल सिविक के अंत्योदय रसोई में खाना खाने जा रहे थे। न्यू रोड नाले में गिर गए। उनके हाथ पर चोट आई है। दिनेश ने बताया वे रोज यहां से गुजरते थे, सोमवार को हादसा हो गया। क प्रत्यक्षदर्शी अनुज शर्मा ने बताया यह व्यक्ति रोज यहां से निकलते हैं। जब हम यहां होते हैं, तो इन्हें सहारा देकर रास्ता बता देते हैं। सोमवार को दुकान में थे। गिरने का पता चलते ही तुरंत यहां पहुंचे और निकाला।

भास्कर

दै. भास्कर 4/1/22

भवन निर्माण अनुमति में नजूल एनओसी अनिवार्य करने के आदेश को निरस्त कराने के लिए कलेक्टर से मिले पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा

रतलाम । शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे है। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने गत दिवस कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इस सबंध में श्री डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षैत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रुप से लिए जाने के निर्देश जारी किए है। आदेश में नगरीय क्षैत्र में रतलाम विकास प्रॉधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कालोनियो को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए म. प्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(11) के खंड (ख) व (ग) तथा म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है।

आम जनता की परेशानी से कलेक्टर को अवगत कराया

इस मामले में पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम से मिले और उन्हे इस आदेश से जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। श्री डागा ने कहा कि इस निगम से शहर में कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से लोगों को अनुमति ही नहीं मिल पाएगी। श्री डागा ने बताया कि आमजन की समस्या को देखते हुए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने इस सबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। स्वतंत्र

स्वतंत्र [illegible] 4/1/22

भवन निर्माण अनुमति में नजूल एनओसी अनिवार्य करने के आदेश को निरस्त कराने के लिए कलेक्टर से मिले पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा

रतलाम। शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे है। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने गत दिवस कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इस सबंध में श्री डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षैत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रुप से लिए जाने के निर्देश जारी किए है। आदेश में नगरीय क्षैत्र में रतलाम विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कालोनियो को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए म. प्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(11) के खंड (ख) व (ग) तथा म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है।

आम जनता की परेशानी से कलेक्टर को अवगत कराया

इस मामले में पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मिले और उन्हे इस आदेश से जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। श्री डागा ने कहा कि इस निगम से शहर में कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से लोगों को अनुमति ही नहीं मिल पाएगी। श्री डागा ने बताया कि आमजन की समस्या को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस सबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इन्दौर

इन्दौर समाचार 4/1/22

नजूल एनओसी अनिवार्य के आदेश को निरस्त कराने की कलेक्टर से की मांग

रतलाम। शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे है। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने गत दिवस कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इस सबंध में श्री डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षैत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रुप से लिए जाने के निर्देश जारी किए है। आदेश में नगरीय क्षैत्र में रतलाम विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कालोनियो को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए म. प्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(11) के खंड (ख) व (ग) तथा म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है। दबंग

आम जनता की परेशानी से कलेक्टर को अवगत कराया

इस मामले में पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मिले और उन्हे इस आदेश से जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। श्री डागा ने कहा कि इस निगम से शहर में कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से लोगों को अनुमति ही नहीं मिल पाएगी। श्री डागा ने बताया कि आमजन की समस्या को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस सबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

दबंग दुनिया 4/1/22

भवन निर्माण अनुमति में नजूल एनओसी अनिवार्य के आदेश को निरस्त करने की मांग, कलेक्टर से मिले पूर्व महापौर

रतलाम। शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे है। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने गत दिवस कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

इस सबंध में श्री डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रुप से लिए जाने के निर्देश जारी किए है। आदेश में नगरीय क्षैत्र में रतलामं विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कालोनियो को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए म. प्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(11) के खंड (ख) व (ग) तथा म. प्र. शासन नगरिय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है। इस मामले में पूर्व महापौर श्री डागा ने कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम से मिले और उन्हे इस आदेश से जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस नियम से शहर में कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से लोगों को अनुमति ही नहीं मिल पाएगी। श्री डागा ने बताया कि आमजन की समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने इस सबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। नवभारत

नवभारत 4/1/22

भवन निर्माण अनुमति में नजूल एनओसी अनिवार्य करने के आदेश को निरस्त कराने के लिए कलेक्टर से मिले पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा

प्रसारण न्यूज • रतलाम

शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे है। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने गत दिवस कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

इस सबंध में श्री डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षैत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रुप से लिए जाने के निर्देश जारी किए है। आदेश में नगरीय क्षैत्र में रतलाम विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कालोनियो को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए म. प्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(11) के खंड (ख) व (ग) तथा म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है।

आम जनता की परेशानी से कलेक्टर को अवगत कराया- इस मामले में पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मिले और उन्हे इस आदेश से जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। श्री डागा ने कहा कि इस निगम से शहर में कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से लोगों को अनुमति ही नहीं मिल पाएगी।

श्री डागा ने बताया कि आमजन की समस्या को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। प्रसारण

प्रसारण 4/1/22

नजूल एनओसी अनिवार्य करने के आदेश का विरोध

रतलाम. शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे हैं। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने विरोध करते हुए कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की।

डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रुप से लिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। पूर्व महापौर डागा ने कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार से मिले और जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से लोगों को अनुमति ही नहीं मिल पाएगी। आमजन की समस्या को देखते हुए कलेक्टर कुमार ने इस सबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

पत्रिका 4/1/22

तुगलकी आदेश को निरस्त कराने के लिए पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने उठाई आवाज

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई हैए जिससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे है। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने गत दिवस कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

इस संबंध में श्री डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रुप से लिए जाने के निर्देश जारी किए है। आदेश में नगरीय क्षेत्र में रतलाम विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कालोनियों को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 1611 के खंड ख व ग तथा म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है।

आम जनता की परेशानी से कलेक्टर को अवगत कराया

इस मामले में पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मिले और उन्हे इस आदेश से जन[...] को हो रही परेशानी से अव[...] कराया। श्री डागा ने कहा कि [...] निगम से शहर में कई स्थानों [...] तकनीकी कारणों से लोगों [...] अनुमति ही नहीं मिल पाएगी। डागा ने बताया कि आमजन [...] समस्या को देखते हुए कलेक[...] कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध [...] शीघ्र निर्णय लेने का आश्वा[...] दिया है। अवन्तिका

अवन्तिका 4/1/22

नजूल एनओसी अनिवार्य करने के आदेश को निरस्त कराने के लिए कलेक्टर से मिले पूर्व महापौर

रतलाम ● स्वदेश समाचार

शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे हैं। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने गत दिवस कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

इस सबंध में श्री डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रूप से लिए जाने के निर्देश जारी किए है। आदेश में नगरीय क्षेत्र में रतलाम विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कॉलोनियों को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(11) के खंड (ख) व (ग) तथा म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है। स्वदेश

स्वदेश 4/1/22

नजूल एनओसी अनिवार्य करने के आदेश को निरस्त किया जाए

पूर्व महापौर ने कलेक्टर से मुलाकात कर की मांग

रतलाम। शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है। इससे निर्माण अनुमति चाहने वाले नागरिक परेशान हो रहे हैं। आमजन की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर व निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

इस संबंध में डागा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रूप से लिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में नगरीय क्षेत्र में रतलाम विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कालोनियों को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(11) के खंड (ख) व (ग) तथा मप्र शासन नगरीय विकास व आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रविधानों के अनुसार नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया है। इस मामले में पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर व निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से मिले और उन्हें इस आदेश से जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। डागा ने कहा कि इस निगम से शहर में कई स्थानों पर तकनीकी कारणों से लोगों को अनुमति ही नहीं मिल पाएगी। डागा ने बताया कि आमजन की समस्या को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

6612 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार तक 6612 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। नई

नईदुनिया 4/1/22